न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :— 10/2022

उनवान

1 बनवारी पुत्र गुल्लाराम जाति माली निवासी साईवाड़ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1 जगदीश
2. पूरणमल
3 मूलचन्द
4. मोहनलाल

} पि0 गुल्लाराम

5. नानगी पत्नि गुल्लाराम
समस्त जाति माली निवासी साईवाड तहसील शाहपुरा
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 आर टी ए

निर्णय दिनांक 5.8.2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है । वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर जारिह किया कि आराजी खसरा नम्बर 314, 587, 588, 589, 797 कुल किता 5 रकबा 0.77 है0 2 बीघा वाके ग्राम साईवाड़ तहसील शाहपुरा में स्थित है। जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1से 5 का 1/6, 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अपने अपने हिस्से में मन बंट के अनुसार काबिज कास्त करते आ रहें है। वादी को बनवारीलाल व कालूराम दोनो नामो से जाना एवं पहचाना जाता है । जिसके कारण पटवारी द्वारा उक्त खसरा नम्बर का विरासत का नामान्तकरण कालूराम से भर दिया गया तथा सहवन से कालूराम उर्फ बनवारी छूट गया । जबकि वादी के सभी दस्तावेज में बनवारी पुत्र गुल्लाराम के नाम दर्ज है। वादी को बनवारी के नाम से ही जाना जाता है । वादी के द्वारा जमाबन्दी निकलवाने पर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई तथा यह वाद पत्र दुरूस्ती हेतु पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादपत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद पत्र के अनुसार कालूराम के स्थान पर बनवारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया । वादीगण की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत साईवाड के द्वारा प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें जाहिर किया बनवारी उर्फ कालूराम सैनी ए क ही व्यक्ति है। वादी के द्वारा पेश दस्तावेजात में भी बनवारी लाल पुत्र गुल्लाराम दर्ज है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा वकील वादी की बहस व वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व राजस्व रिकार्ड की गहनता से परीक्षण किया गया । वादी का नाम दस्तावेजात में बनवारीलाल है लेकिन राजस्व रिकार्ड में कालूराम पुत्र गुल्ला दर्ज है, तथा प्रतिवादीगण ने भी वादी का नाम कालूराम के बजाय बनवारीलाल दर्ज किये जाने की सहमति दी ।

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा नम्बर 314, 587, 588, 589, 797 कुल किता 5 रकबा 0.77 है0 2 बीघा वाके ग्राम साईवाड़ तहसील शाहपुरा में दर्ज खातेदार कालूराम पुत्र गुल्ला के स्थान पर बनवारी उर्फ कालूराम पुत्र गुल्ला जाति माली निवासी साईवाड़ दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे। पर्चा डिकी जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 5.8.20202 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 10/2022

उनवान

नवारी पुत्र गुल्लाराम जाति माली निवासी साईवाड़ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

जगदीश
पूरणमल
मूलचन्द
मोहनलाल } पि0 गुल्लाराम

नानगी पत्नि गुल्लाराम
समस्त जाति माली निवासी साईवाड तहसील शाहपुरा
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

द पत्र इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 आर टी ए

निर्णय दिनांक 5.8.2022

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा नम्बर 314, 587, 3, 589, 797 कुल किता 5 रकबा 0.77 है0 2 बीघा वाके ग्राम साईवाड़ तहसील शाहपुरा में दर्ज तेदार कालूराम पुत्र गुल्ला के स्थान पर बनवारी उर्फ कालूराम पुत्र गुल्ला जाति माली निवासी साईवाड़ र्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में मल दरामद करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे।

आज तारीख 5.8.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

द के खर्चे

दी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शों के लिए स्टाम्प .... रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
ोड़		जोड़	